



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253436  
CG-DL-E-28032024-253436

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946  
No. 220] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

सं. 01/2024 – संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 234(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 16 तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 367(अ), तारीख 16 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2019-संघ राज्य क्षेत्र कर की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

i. क्रम सं. 3 और 4 के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

| क्रम सं. | अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण के संघ राज्य क्षेत्र का नाम | सदस्य का पदनाम                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                                               | (3)                                                                                                                                                     |
| "3.      | दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव                                 | (i) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, वडोदरा क्षेत्र;<br>(ii) आयुक्त, (संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर), संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। |

ii. स्तंभ (1) के अधीन, क्रम सं. 5 को क्रम सं. 4 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/3/2024-एसटी-1-डीओआर]

सुनील कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, सा.का.नि. 367(अ), द्वारा तारीख 16 मई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक प्रकाशित की गई थी।